

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 03-06-2026

विषय: उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालों एवं कॉलेजों से विभिन्न विषयों के स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित विषयों पर इंटरशिप प्रोग्राम संचालित किये जाने हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-279/का०अनु०/ इंटर०/2026-27, दिनांक 21.05.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालों एवं कॉलेजों से विभिन्न विषयों के स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित विषयों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 (दि० 01 मार्च, 2026 से दि० 28 फरवरी, 2027) में पूर्व से इनरोल 04 इन्टर्न्स के स्टाईपेन्ड (प्रति इन्टर्न् प्रतिमाह रू० 10,000/-) हेतु एस०डी०आर०एफ० की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से रू० 4,80,000/- का बजट आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 10.03.2025 में प्राप्त संसुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 22-05-2025 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में प्रदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालों एवं कॉलेजों से विभिन्न विषयों के स्नातक एवं परास्नातक विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित विषयों पर द्वितीय बैच में इनरोल 04 इन्टर्न्स के स्टाईपेन्ड (प्रति इन्टर्न् प्रतिमाह रू० 10,000/-) के अनुसार भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि रू० 4,80,000/- (रू० चार लाख अस्सी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्त/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन

प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/ अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्यन्ध में होने वाला व्यय ₹0 4,80,000/- (₹0 चार लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-4 2 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Digitally signed by **भवदीय,**
KULDEEP SINGH
Date: 03-06-2026
17:50:02

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

संख्या:-620(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज।

2- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।

- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUSHIL KUMAR
Date: 03-06-2026
18:23:06

(सुशील कुमार)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-04/06/2026

प्रेषण संख्या:- 620
आवंटन आदेश संख्या:- 001-620
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	480000 44517645	480000 44517645
	योग	वर्तमान प्रगामी	480000 44517645	480000 44517645

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख अस्सी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ पैतालीस लाख सत्रह हजार छः सौ पैतालीस



(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।